राजस्थान सरकार
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005

क्रमांक : RMSC/विविध/2011/590 दिनांक : 28/11/11

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध अस्पताल,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.)

दिनांक 2 अक्टूबर, 2011 से प्रारम्भ "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" के प्रभावी संपादन हेतु दिशा–निर्देश :–

1. **दवा वितरण केन्द्रो (डी.डी.सी.) सम्बन्धित निर्देश :–**

- पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार कॉनफैड द्वारा संचालित डी.डी.सी. पर कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था से मरीज को दी गई दवा का रिकॉर्ड संधारित करना सुनिश्चित करें। इससे दवाईयों के दुरूपयोग की संभावना कम की जा सकेगी।
- चिकित्सालय में उपलब्ध दवाईयों की सूची मय कौन–सी दवा किस रोग में उपयोग में ली जानी है दवा वितरण केन्द्र पर लगवाना सुनिश्चित किया जावें।
- डी.डी.सी. का समय व शिकायत करने के लिये टेलिफोन नम्बर आदि डी.डी.सी. के बाहर लिखावें।
- डी.डी.सी पर कार्यरत कर्मचारियों की पोशाक एवं आईडिन्टी कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
- सभी चिकित्सक बाहय रोगी उपचार पत्र पर मरीज के लिये प्रेसक्रिप्शन लिखकर अपने लघु हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक चिकित्सालय पर Drugs & Therapeutics Committe का गठन सुनिश्चित करें, जो Prescription audit कर दवाईयों के उचित व तर्कसंगत उपयोग (Rational use) को सुनिश्चित करेगी।
- नये निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र की स्थापना/निर्माण हेतु 2.25 लाख रूपये दिये गये है। निर्धारित डिजाईन के अनुसार इन केन्द्रों पर मरीजों के बैठने के लिये कुर्सियों तथा छाया की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। दवा लेने के लिए मरीजों की संख्या बढने के कारण दो खिडकियों के बीच में स्टील/लोहे की रैलिंग लगाकर विभाजन किया जाना वांछनीय है।
- यथा सम्भव निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने की दशा में वरिष्ठ नागरिकगण, विकलांग, पेंशनर्स इत्यादि के लिए अलग से खिडकी/कतार लगायी जाए।
- आउटडोर रोगियों को दवा वितरण हेतु बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए टोकन सिस्टम लागू किया जा सकता है।
- दवा वितरण केन्द्रों पर रेफ्रिजरेटर, रैक्स इत्यादि उपकरणों की व्यवस्था की जायें।
- स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाओं पर "Not for Sale" की सील लगाई जावें।

- दवा वितरण केन्द्र में दवाइयों को व्यवस्थित रूप से अंग्रेजी अक्षरों के वर्णानुसार (Alphabetical order) रखी जाए जिससे त्वरित वितरण किया जा सकें।

2. अस्पताल प्रबन्धन सम्बन्धित निर्देश :–

- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के लागू होने के पश्चात्, सभी अस्पतालों में आउटडोर में वृद्धि हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सालयों पर अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही है, अतः आर.एम.आर.एस. के माध्यम से भी Man with machine/प्राइवेट एजेन्सी द्वारा (Out Sourcing कर) रजिस्ट्रेशन पर्ची जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सकती है।
- अस्पताल में भर्ती इन्डोर मरीज के लिए अलग से दवा वितरण केन्द्र की व्यवस्था है। यथासम्भव भर्ती रोगी को वार्ड में (बैड पर) ही दवा वितरण किया जा सकता है। कई स्थानों पर ट्रॉली द्वारा वार्ड में ही दवा वितरित की जा रही है।
- प्रत्येक चिकित्सालय पर Life-Line Drug Store स्थापित कर अधिक से अधिक दवाईयाँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे मरीज को शेष दवाऐं व Implants आदि कम दर पर प्राप्त हो सकें।
- आर.एम.आर.एस. द्वारा लाईफ लाईन स्टोर को ठेकेदार के स्थान पर फार्मासिस्ट द्वारा संचालित किया जा सकता है।
- पेन्शनर्स एवं अन्य व्यक्तियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये अस्पताल परिसर में ही फोटोकॉपी कराने की व्यवस्था करने का प्रयास किया जावें।
- डिस्पेन्सरी पर आर.एम.आर.एस. के गठन के आदेश जारी किए गए है। अतः आर.एम. आर.एस. की बैठक कर डिस्पेन्सरी की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कार्यवाही की जावें।

प्रमुख शासन ~~सचिव,~~ चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य विभाग एवं अध्यक्ष
आर.एम.एस.सी

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. निदेशक, जनस्वास्थ्य/आरसीएच/एचए/आईईसी, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

प्रबंध निदेशक
आर.एम.एस.सी